अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)
GRANT No. 19 - MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*1,11,00*	*4,56,00*	*2,66,08*	*-1,89,92*
पूरक	*Supplementary*	*3,45,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*55,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	42096,22,00	46370,88,00	46310,72,84	-60,15,16
पूरक	Supplementary	4274,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,44,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*45,00,00*	*28,48,45*	*-16,51,55*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10305,85,00	11099,47,00	10971,86,05	-127,60,95
पूरक	Supplementary	793,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				137,15,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचत (*₹189.92 लाख*) दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त किए गए *₹345.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 55 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 42 प्रतिशत थी।

(I) *₹61.00 लाख* का *विनियोग* चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹189.92 lakhs*) constituted 55 percent of the supplementary *appropriations* of *₹345.00 lakhs* obtained in December 2024 and March 2025 and 42 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) *Appropriation* of *₹61.00 lakhs* remained wholly unutilised under four heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	6800.00	4865.00	4212.16	-652.84
पु.	R.	-1935.00			
मुख्य शीर्ष “2037”	Major Head “2037”				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	415180.00	404010.88	401316.83	-2694.05
पु.	R.	-11169.12			
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	831862.00	856324.41	849708.54	-6615.87
पू.	S.	11998.00			
पु.	R.	12464.41			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2055”	Major Head “2055”				
पुलिस	Police				
मू.	O.	193580.00	191553.25	202245.02	+10691.77
पु.	R.	-2026.75			
मुख्य शीर्ष “2075”	Major Head “2075”				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	2625000.00			
पू.	S.	414999.00	3037842.00	3032628.31	-5213.69
पु.	R.	-2157.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	550.00	..	..	..
पु.	R.	-550.00			
मुख्य शीर्ष “3054”	Major Head “3054”				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	125000.00			
पू.	S.	469.00	129512.93	129584.98	+72.05
पु.	R.	4043.93			

(I) ₹550.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "सड़कें और पुल – सीमा सड़क संगठन" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹550.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Road & Bridges - Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग" के अंतर्गत ₹249851.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹1600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹251451.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹17196.90 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरने, पुरस्कारों, किराए, दरों और करों, विज्ञापन और प्रचार, ईंधन और स्नेहक के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)" - the original provision of ₹249851.00 lakhs was augmented to ₹251451.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1600.00 lakhs in December, 2024. However, there was a saving of ₹17196.90 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, rent, rates and taxes, advertisement & publicity, fuels and lubricants and less tours undertaken.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रह गईः–

(III) Supplementary grants obtained in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "अन्य कार्यालय – रक्षा संपदा संगठन (डीईओ)" – ₹61446.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10398.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹71844.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो रिक्त पदों को न भरने, पुरस्कारों, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भत्ते, कार्यालय व्यय, किराया, भूमि और भवनों के लिए दरें और कर, डिजिटल उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, ईंधन और स्नेहक, मरम्मत और रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा त्तथा कम दौरे किए जाने के कारण ₹1221.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2052" - "Other Offices - Defence Estates Organisation (DEO)" - the original provision of ₹61446.00 lakhs was augmented to ₹71844.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹10398.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1221.22 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, leave travel concession, medical reimbursements, allowances, office expenses, rent, rates and taxes for land and buildings, digital equipments, materials and supplies, fuels and lubricants, repair and maintenance and less tours undertaken.

(खा) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) – कैंटीन सेवा निदेशालय" – ₹2625000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹414999.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3039999.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, जो रिक्त

(B) Major Head "2075" - "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services"- the original provision of ₹2625000.00 lakhs was augmented to ₹3039999.00 lakhs by

पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, छुट्टी यात्रा रियायत, कार्यालय व्यय, अन्यों के लिए किराया, विज्ञापन एवं प्रचार तथा लघु सिविल एवं विद्युत कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹7370.69 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

obtaining supplementary grants of ₹414999.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹7370.69 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards medical reimbursement claims, leave travel concession, office expenses, rent for others, advertising & publicity and minor, civil & electric works.

(IV) मुख्य शीर्ष "2014" – "अन्य व्यय – सशस्त्र बल अधिकरण" के अंतर्गत ₹2587.84 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, पर्यटन, कार्यालय व्यय, पुरस्कार, छुट्टी यात्रा रियायत, भत्ते, मुद्रण और प्रकाशन, विज्ञापन और प्रचार, अन्य प्रशासनिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और मरम्मत और रखरखाव कार्यों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2014" - "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" - saving of ₹2587.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards tours, office expenses, rewards, leave travel concession, allowances, printing and publication, advertisement and publicity, other administrative expenses, medical reimbursements and non-finalisation of repair and maintenance works.

(V) मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक और अन्य कार्य – तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹13863.17 लाख की बचत (₹415180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, पुरस्कारों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण, मुद्रण और प्रकाशन, भत्ते, कार्यालय व्यय, डिजिटल उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, ईंधन और स्नेहक, मरम्मत और रखरखाव, लघु सिविल और बिजली के कार्यों, गोपनीय सेवा व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और मोटर वाहनों की खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2037" - "Preventive and Other functions - Coast Guard Organisation" - saving of ₹13863.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹415180.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rewards, medical reimbursements, training, printing and publications, allowances, office expenses, digital equipment, materials and supplies, fuels and lubricants, repair and maintenance, minor civil and electric works, secret service expenditure and non-finalisation of procurement of motor vehicles.

(VI) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(VI) Under Major Head "2052" - "Secretariat"- savings occurred under following heads:-

(का) "रक्षा विभाग" – ₹4109.88 लाख की बचत (₹26347.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार, कार्यालय व्यय, अन्यों के लिए किराया, डिजिटल उपकरण, सामग्री और आपूर्ति, ईंधन और स्नेहक, सामान्य सहायता अनुदान (आईडीएसए), छुट्टी यात्रा रियायत, प्रशिक्षण, कम दौरे किए जाने, सहायता सामग्री और उपकरण और अन्य राजस्व व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Department of Defence (DoD)" - saving of ₹4109.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26347.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards rewards, office expenses, rent for others, digital equipments, materials and supplies, fuels and lubricants, Grants-in-aid general (IDSA), leave travel concession, trainings, less tour undertaken, aid material and equipment and other revenue expenditure.

(खा) "रक्षा उत्पादन विभाग" – ₹4567.37 लाख की बचत (₹60977.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय व्यय, डिजिटल उपकरण, विज्ञापन और प्रचार, छुट्टी यात्रा रियायत तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Department of Defence Production (DP)" - saving of ₹4567.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60977.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses, digital equipment, advertising and publicity, leave travel concession and grants for creation of capital assets.

(गा) "पूर्व सैनिक कल्याण विभाग" – ₹590.06 लाख की बचत (₹1010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, विज्ञापन और प्रचार, डिजिटल उपकरण, सहायता और सामग्री के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(C) "Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW)" - saving of ₹590.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1010.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medical reimbursements, leave travel concession, advertisement and publicity, digital equipment, aid and materials and less tours undertaken.

(घा) "सैन्य कार्य विभाग" – ₹1365.27 लाख की बचत (₹2928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्ते तथा छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) "Department of Military Affairs" - saving of ₹1365.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2928.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and leave travel concession.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹439.81 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत है।

(VII) Under one head saving of ₹439.81 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें (₹36332.25 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2867.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3(I). The above savings were partly (₹36332.25 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2867.00 lakhs in March, 2025 under following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – सीमा सड़क संगठन" – ₹32288.32 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹35106.34 लाख था।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Border Roads Organisation" - ₹32288.32 lakhs. Actual excess, however, was ₹35106.34 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक और सीमा सड़कें" –

(B) Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads" -

(क) "सड़क निर्माण कार्य" –

(a) "Road works" -

(i) "सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव" – ₹2500.00 लाख। तथापि,

(i) "Maintenance of NHs by Border Roads Organisation" - ₹2500.00 lakhs.

वास्तविक अधिक व्यय ₹2864.57 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों का रखरखाव" – ₹1012.93 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹735.53 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय – सड़क निर्माण कार्य" – ₹531.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹525.24 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2055" – "विशेष पुलिस – जम्मू और कश्मीर लाइट इनफैंट्री का चुकाया गया शुल्क" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹8665.02 लाख का अधिक व्यय (₹193580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹459.81 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत है।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

Actual excess, however, was ₹2864.57 lakhs.

(ii) "Road Maintenance other than NHs" - ₹1012.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹735.53 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Road Works" - ₹531.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹525.24 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2055" - "Special Police - Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)" - excess of ₹8665.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹193580.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances.

(III) Under one head excess of ₹459.81 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"			
सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges	*4500.00*	*2848.45*	*-1651.55*

(I) "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य– सीमा सड़क संगठन के अधीन निर्माण कार्य" के अंतर्गत *₹1651.55 लाख* की बचत (*₹4500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कम अदालती मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation" - saving of *₹1651.55 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹4500.00 lakhs*) was due to finalisation of less court cases.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹12760.95 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹79362.00 लाख की पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹12760.95 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹79362.00 lakhs obtained in March, 2025 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047 " Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	350000.00			
पू.	S.	69950.00	408320.11	406895.37	-1424.74
पु.	R.	-11629.89			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5550.00			
			3220.00	3254.34	+34.34
पु.	R.	-2330.00			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on other Administrative Services				
मू.	O.	13100.00			
पू.	S.	4000.00	19686.89	19318.84	-368.05
पु.	R.	2586.89			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	2685.00	695.00	495.66	-199.34
पु.	R.	-1990.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2450.00	2555.00	2242.20	-312.80
पू.	S.	430.00			
पु.	R.	-325.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	65000.00	..	..	..
पु.	R.	-65000.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	591500.00	656500.00	659751.05	+3251.05
पु.	R.	65000.00			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹65380.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹65000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "सड़क निर्माण कार्य – सड़क विंग और बीआरओ के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹65380.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹65000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Road Works - Road Development works under Road Wings and BRO" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – निर्माण" के अंतर्गत ₹2445.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹430.00 लाख का पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाकर ₹2875.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹632.80 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) भवन एवं संरचनाओं तथा फर्नीचर एवं फिक्स्चर के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction"- the original provision of ₹2445.00 lakhs was augmented to ₹2875.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹430.00 lakhs. However, there was a saving of ₹632.80 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards buildings and structures and furniture and fixtures.

(III) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹350000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹69950.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹419950.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो परियोजना डिजिटल तटरक्षक को अंतिम रूप न दिए जाने, मोटर वाहन, अन्य अचल परिसंपत्तियां, भवन और संरचनाएं, मशीनरी और उपकरण, अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां के लिए कम निधियों की आवश्कता होने और भूमि अधिग्रहण न करने के दो मामलों के लाभकारी न होने की वजह से ₹13054.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) Under Major Head "4047" - "Customs - Coast Guard Organisation" - the original provision of ₹350000.00 lakhs was augmented to ₹419950.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹69950.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹13054.63 lakhs - due to requirement of less funds towards non-finalisation of project Digital Coast Guard, motor vehicles, other fixed assets, buildings and structures, machinery and equipment, infrastructural assets and non-fructification of two cases of non-acquisition of land.

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत ₹2043.53 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Defence Estates Organisation" - saving of ₹2043.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(V) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन और प्रशासन – अन्य कार्यालय" के अंतर्गत ₹1814.34 लाख की बचत (₹2310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन और संरचनाओं, अन्य अचल परिसंपत्तियों, मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों, फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए कम निधियों

(V) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Other Offices" - saving of ₹1814.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2310.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards buildings & structures, other fixed assets, motor

की आवश्यकता होने और बैकएंड ऑटोमेशन परियोजना के लिए समयसीमा में संशोधन और भंडारण और गोदाम प्रबंधन सुविधा में सुधार के लिए उपकरण अंतर्ग्रहण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹378.09 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत है।

6.(I) उपर्युक्त बचत (₹2586.89 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय– सामान्य सेवाएँ" के अंतर्गत ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2218.84 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के तहत कार्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹68251.05 लाख का अधिक व्यय (₹591500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्ष में किए जाने और मुख्य निर्माण कार्यों, अवसंरचनात्मक परिसंपतियों और मोटर वाहनों की बकाया देनदारियों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

vehicles, machinery & equipments, furniture & fixtures and revision of timelines for backend automation project and non-finalisation of the proposals for equipment ingestion for improvement of storage and warehouse management facility.

(VI) Under one head saving of ₹378.09 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (₹2586.89 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Secretariat - General Services". Actual excess, however, was ₹2218.84 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation" - excess of ₹68251.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹591500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards infrastructural assets and re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and clearance of outstanding liabilities towards major works, infrastructural assets and motor vehicles.